न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट, हरदोई।

विशेष परिवाद संख्या– 987/2016

रामस्वरूप पासी बनाम आत्मप्रकाश आदि

दिनांक 22.06.2018

पत्रावली पेश हुई।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी ने अपने परिवादपत्र में उल्लेख किया है कि वह गरीब अनुसूचित जाति उपजाति पासी बिरादरी का है तथा विपक्षीगण सवर्ण हैं। दिनांक 21.01.2016 को 4 बजे शाम के समय प्रार्थी अपनी पत्नी फूलमती के साथ मंशा देवी स्थित ग्राम महीठा के पास अपने खेत में सिंचाई कर रहा था कि समय 4 बजे प्रार्थी ने अपनी पत्नी फूलमती उम्र 32 साल को विपक्षी आत्मप्रकाश उर्फ अतम्मू की दुकान पर बीड़ी आदि सामान लेने भेजा। वहां विपक्षी आत्मप्रकाश उर्फ अतम्मू ने प्रार्थी की पत्नी फूलमती को बुरी नीयत से पकड़ लिया और पीछे झाड़ी व बाग में खींचने लगा कि पत्नी चिल्लाई तब विपक्षी अतम्मू उसे छोड़कर भाग गया। प्रार्थी की पत्नी ने रोते हुए प्रार्थी के पास खेत पर आकर पूरा हाल बताया, तब प्रार्थी अतम्मू की दुकान पर उससे पूछने गया कि यह हरकत क्यों की, इस पर अतम्मू के लड़के, भाई व भतीजे यह कहकर गालियां देने लगे कि साले पासी तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हो गयी। प्रार्थी के गालियां देने से मना करने पर विपक्षीगण प्रार्थी को लाठी–डंडों व लात घूसों से मारने लगे। शोर पर गवाहान शिवपाल पाण्डेय, प्यारे व कुंवर बहादुर ने आकर बचाया। तब विपक्षीगण धमकी देते हुए कि कोई थाना में रिपोर्ट की तो जान से मार डालेंगें, चले गये। प्रार्थी थाना अतरौली गया तथा हरदोई आकर अपनी चोटों का डाक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल, हरदोई में कराकर उच्चाधिकारियों को प्रार्थनापत्र दिये, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

परिवादी का बयान अंतर्गत धारा 200 दं.प्र.सं. एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत गवाहान कुंवर बहादुर एवं फूलमती का बयान अंतर्गत धारा 202 दं.प्र.सं. अंकित किया गया।

परिवादी को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया गया।

परिवादी ने अपने बयान अंतर्गत धारा–200 दं.प्र.सं. में अपने परिवादपत्र में किये गये कथनों का समर्थन करते हुए कथन किया है कि करीब डेढ़ साल पहले शाम 4 बजे की बात है, दिनांक 21.01.2016 की घटना है, वह तथा उसकी पत्नी फूलमती खेत में पानी लगाने गये थे। वहां अतम्मू उर्फ आत्मप्रकाश ने मंशा देवी स्थान पर दुकान रखी है। उसने अपनी पत्नी को दुकान से बीड़ी माचिस व बिस्कुट लेने भेजा तो दुकान पर ही अतम्मू उर्फ आत्मप्रकाश उसकी पत्नी का हाथ पकड़कर झाड़ी की ओर खींचने का प्रयास करने लगा, जब वह चिल्लाई तो उसने पत्नी को छोड दिया। तब वह रोती हुई खेत पर हमारे पास आई। उसने यह बात बताई। जब वह उसकी दुकान पर शिकायत करने गया तो दुकान पर अतम्मू का भाई धीरेन्द्र शुक्ला, अतम्मू का लड़का शेरू व मोहित व अतम्मू का भतीजा गोलू मौजूद थे। सभी ने उसे मां बहन की गंदी–गंदी गाली व पासी साला कहकर गालियां दी तथा लात– घूसों व डंडों से मारने लगे। शोर पर साक्षीगण ने आकर बचाया।

परिवादी की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्लू.–1 कुंवर बहादुर द्वारा भी अपने बयान अंतर्गत

धारा–202 दं.प्र.सं. में परिवादपत्र में वर्णित तथ्यों एवं परिवादी के बयान अंतर्गत धारा 200 दं.प्र.सं. का समर्थन करते हुए कथन किया गया है कि आज से डेढ़ वर्ष से अधिक हुआ, शाम के 4 बजे का समय था, उसने देखा कि आत्मप्रकाश उर्फ अतम्मू, शेरू, मोहित, धीरेन्द्र व गोलू रामस्वरूप को लाठी डंडा व लात घूसों से मारपीट रहे थे और साले पासी कहकर मां बहन की गालियां दे रहे थे। उसने व अन्य ने बचाया। तब विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये।

परिवादी की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्लू.–2 फूलमती, जो कि परिवादी की पत्नी है, के द्वारा भी अपने बयान अंतर्गत धारा–202 दं.प्र.सं. में परिवादपत्र में वर्णित तथ्यों एवं परिवादी के बयान अंतर्गत धारा 200 दं.प्र.सं. का समर्थन करते हुए कथन किया गया है कि अरसा दो वर्ष दो माह पहले की बात है, 4 बजे शाम का समय था। वह आत्मप्रकाश की दुकान पर बीड़ी लेने गयी थी। वहां पर आत्म प्रकाश ने उसे बुरी नीयत से पकड़ लिया और झाड़ी वाले बाग की तरफ खींचने लगा। जब वह चिल्लाई तब वह भाग गया। यह बात उसने अपने पति को बताई तो वह आत्मप्रकाश की दुकान पर गए और कहे कि यह करकत क्योंकि इस पर उसके साथी धीरेन्द्र, मोहित, शेरू, व गोलू आ गए और यह कहते हुए कि साले पासी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और मां बहन की गालियां देने लगे, मना करने पर उसके पति को लात घूसों व लाठी–डंडों से मारने लगे। शोर पर गवाहान ने बचाया।

इस प्रकार परिवादी के साक्ष्य अंतर्गत धारा 200 दं.प्र.सं. एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्य अंतर्गत धारा 202 दं.प्र.सं. में घटना के दिनांक, समय व स्थान तथा घटना के घटित होने के प्रकार के सम्बंध में कोई विरोधाभास नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 147, 323, 506 भा.द.सं. एवं धारा 3(1)(10) अनु.जाति और अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत होता है, जिस कारण अभियुक्तगण विचारण हेतु आहूत किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण आत्मप्रकाश उर्फ अतम्मू, धीरेन्द्र कुमार, मोहित, शेरू शुक्ला एवं गोलू को धारा 147, 323, 506 भा.द.सं. एवं धारा 3(1)(10) अनु.जाति और अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादी पैरवी तीन दिन के अंदर करते हुए गवाहों की लिस्ट दाखिल करे, साथ ही अभियुक्तगण के समन के साथ परिवादपत्र की प्रतियां भी दाखिल करे। अभियुक्तगण के विरूद्ध समन कार्यालय लिपिक जारी करना सुनिश्चित करे।

पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण दिनांक 27.07.2018 को पेश हो।

(जय प्रकाश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.
(पी.ए.) एक्ट हरदोई।
22.06.2018